न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

अनुवान

..... बनाम .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई। रजुआत वादी उपस्थित [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) प्रकरण [illegible] 2021 [illegible] 04/12/21 पत्रावली आज के क्रम स्थल पर पेश हुई वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्रावली वापस लेने के अनुसार [illegible] दिनांक 09/12/22 को पेश हो।
25/01/22	पत्रावली आज वादी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई वादी मय अधिवक्ता उपस्थित वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को वापस करने का निवेदन किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता ने की। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का वाद वादी के प्रार्थना पत्र पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

राजकुमार

तिजारा

कृष्णा

रेखा

अनीता

सविता